सत्यमेव जयते

No.1/5/2019-Coord.
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
******

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 30th April, 2019

To

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
4. Smt. Maya Chintaman Ivnate, Hon'ble Member

Sub: Summary Record of discussions of 114th Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 12.04.2019 at 12:30 A.M.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 114th meeting of the National Commission for Scheduled Tribes was held on 12.04.2019 at 12:30 A.M in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

(S.P Meena)
Assistant Director

Copy for necessary action, a copy of the Summary Record of discussions of 114th meeting of NCST is enclosed. The action taken report in the matter may be intimated to Coord. Section by 15.05.2019.

(i) Director (RU-II & III)
(ii) Deputy Secretary (RU-I & IV)
(iii) Under Secretary (Estt.)
(iv) Assistant Director (RU-II & Coordination)
(iii) Assistant Director (RU-I & OL)
(iv) Assistant Director (Admin)
(v) Research Officer (RU-IV)

Copy for information:

1. Sr.PPS to Secretary, NCST
2. PA to Joint Secretary, NCST
3. Secretary, MoTA, Shastri Bhawan, New Delhi.
4. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
5. NIC, NCST for uploading on the website.

National Commission for Scheduled Tribes

Minutes of the 114th Meeting held on 12-04-2019

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 114 वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त

(फाईल सं. 1/4/2019–समन्वय)

दिनांक : 12.04.2019 समय : 12.30 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003.

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

प्रतिभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य
3. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्या
4. श्री ए.के.सिंह, सचिव
5. श्री एस.के.रथ, संयुक्त सचिव
6. डॉ. ललित लट्टा, निदेशक
7. श्री एस.पी.मीना, सहायक निदेशक
8. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा)
9. श्री राकेश कुमार दूबे, सहायक निदेशक (प्रशासन)
10. श्री वाई.के.बंसल, अनुसंधान अधिकारी
11. श्री आर एस मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक
12. श्री विकास कुमार शर्मा, कानूनी सलाहकार

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मंदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिया गए:

कार्यसूची मद सं0 1	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानदण्डों की अनुसूची 1 के खंड 5.2 में उल्लेखित 'विशेष समूहों' के वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एससी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (इबीसी) अधिसूचित घुमन्तु एवं अर्ध–घुमन्तु जनजातियां (डीएनटी), गंदगी साफ करने वाला, सफाई कर्मचारी तथा कूड़ा उठाने वालों के समावेशन के संबंध में।

(सं0 Cabinet Note/2/MoSJ&E/2019/RU-III)

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (योजना प्रभाग) ने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट एवं उद्यमिता में दिए गए प्रस्ताव पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियों के संबंध में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानदण्डों के अनुसूची 1 के खंड 5.2 में उल्लेखित 'विशेष समूहों' के वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एससी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (इबीसी) अधिसूचित घुमन्तू एवं अर्ध–घुमन्तु जनजातियां (डीएनटी), गंदगी साफ करने वाला, सफाई कर्मचारी तथा कूड़ा उठाने वालों के समावेशन पर ड्राफ्ट नोट की एक प्रति सहित ड्राफ्ट कैबिनेट नोट की एक प्रति भेजी है।

प्रस्ताव, प्रस्ताव का औचित्य, ड्राफ्ट कैबिनेट नोट का औचित्य एवं मुख्य विशेषताएं :

2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अपने तीन अपेक्स निगमों अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्तीय एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से विभिन्न हासिये पर लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है जो कौशल परिषद् सेक्टर, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण पार्टनर जो एनएसडीसी से सहबद्ध है, के माध्यम से चलाये जा रहे हैं।

3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वित्तीय एवं कौशल विकास हेतु कवर किए गए निम्नलिखित लक्षित समूहों के लिए व्यापक रूप से गतिविधियों को शामिल करता है:–

क) क्रेडिट आधारित योजना के लिए 3.00 लाख रूपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाली अनुसूचित जातियां (एससी) तथा कौशल विकास गतिविधियों के लिए 3.00 लाख रूपए से कम पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जातियां ।

ख) 3.00 लाख रूपए से कम पारिवारिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार, Govt. of India

ग) 1.00 लाख रूपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (इबीसी) अथवा व्यक्ति

घ) जाति श्रेणी तथा आय मानदंडों को ध्यान दिए बिना अधिसूचित घुमन्तु तथा अर्ध–घुमन्तु जनजातियां (डीएनटी)

ड.) जाति अथवा आय मानदंडों को ध्यान दिए बिना कूड़ा उठाने वालों सहित एमएस अधिनियम–2013 के अनुसार निर्धारित गंदगी साफ करने वाले, सफाई कर्मचारी

<u>प्रस्ताव</u>

4. इसलिए उपरोक्त पैरा 3 में उल्लेखित सभी वर्गों, जिसके लिए सामान्य मानदंडों की अनुसूची 1 के खंड 5.2 में उल्लेखित विशेष समूहों के सीमा के भीतर मंत्रालय द्वारा कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं, को शामिल करने के लिए प्रस्ताव है।

<u>औचित्य</u>

5.1 मंत्रालय के अंतर्गत सभी तीन निगम अर्थात् एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी तथा एनएसकेएफडीसी हासिए का वर्ग अर्थात् गरीब एससी तथा ओबीसी, इबीसी, डीएनटी, गंदगी साफ करने वाले तथा सफाई कर्मचारी के लिए कार्य कर रहे हैं। इस सभी समूहों के लिए वित्तीय एवं विकास गतिविधियों के लिए निगमों को विधिवत रूप से अधिदेशित किया गया है तथा इन सभी समूहों के गरीबी से सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए मान्य रूप से उनसे संबंधित संघ के अनुच्छेद में शामिल किया गया।

5.2 इन समूहों के अधिकतर लोगों की आय बहुत कम है और वे लोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे उपस्थित होने के लिए अनिच्छुक होते हैं क्योंकि प्रशिक्षण अवधि के दौरान एक ओर जहां वे मजदूरी कमाने की क्षमता खो देते हैं साथ ही उनको यात्रा इत्यादि पर व्यय करने के लिए कुछ रूपयों की भी आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण लेने वालों के लिए कुछ सामान भी क्रय करने की आवश्यकता होती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण लेने वालों के लिए भुगतान करने का प्रावधान मंत्रालय के योजना में किया जाना है तथा इसे जारी भी रखने की आवश्यकता है।

5.3 अचानक प्रशिक्षण के पूर्व के मासिक भुगतान को रोका जाना लक्षित समूहों को उनकी सुविधाओं से वंचित करना गलत संदेश देगा और इस प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनकी उपस्थित होने की प्रेरणा स्तर को कम करेगा। यह कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का मूल उद्देश्य से असंगत होगा।

5.4 एमएस अधिनियम, 2013 के खंड 13(1) के द्वारा निर्धारित गंदगी साफ करने वालों के मासिक वेतन का भुगतान 3000/–रूपए अनिवार्य है और इस प्रकार इसे बंद नहीं किया जा

नन्द कुमार साई/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

सकता। आगे स्वच्छता कर्मचारी, गंदगी साफ करने वालों के काफी समतुल्य है और उन लोगों को कोई भी मासिक वेतन का भुगतान नहीं किया जाता अथवा थोड़ा भुगतान किया जाता है जबकि गंदगी साफ करने वाले लगातार प्रति महिने 3000/–रू. लेते हैं, जो कि उन लोगों के लिए निश्चित रूप से एक शिकायत का स्रोत होगा और वे इसका विरोध भी करेंगे।

5.5 सामान्य मानदण्डों में अधिदेशित विशेष समूहों के अंतर्गत मंत्रालय के लक्षित समहों का समावेशन भारत सरकार के 'अंत्योदय' उद्देश्य को पूरा करने में भी मदद करेंगा अथवा अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाएगा।

5.6 इस प्रकार उन लोगों को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानदंडों के अनुसूची एक के खंड 5.2 के अंतर्गत विशेष समूहों के रूप में उनको मानना न्यायसंगत है और उन लोगों को प्रशिक्षण से पूर्व भुगतान भी दिया जा सकता है।

6. यह महसूस किया जाता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के ड्राफ्ट कैबिनेट नोट से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तद्नुसार आयोग के समक्ष मामला प्रस्तुत की गई।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Agenda Item No.1	Inclusion of Scheduled Castes (SCs) & Other Backward Classes (OBCs), Economically Backward Classes (EBCs), De-notified Nomadic & Semi-Nomadic Tribes (DNTs), Manual Scavengers, Safai Karamcharis, and Waste Pickers under the category of 'Special Groups' as mentioned in clause 5.2 of scheduled 1 of the Common Norms of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship-reg.

(File No.Cabinet Note/2/MoSJ&E/2019/RU-II)

The Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Social Justice & Empowerment (Plan Division) has sent a copy of Draft Note for the Cabinet along with a copy of the Draft Note on inclusion of Scheduled Castes (SCs) & Other Backward Classes (OBCs), Economically Backward Classes (EBCs), De-notified Nomadic & Semi-Nomadic Tribes (DNTs), Manual Scavengers, Safai Karamcharis, and Waste Pickers under the category of 'Special Groups' as mentioned in clause 5.2 of scheduled 1 of the Common Norms of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship regarding comments of the NCST on the proposal contained in the Draft Cabinet Note and Entrepreneurship.

2. The proposal, justification of the Proposal, Justification & Salient Feature of the Draft Cabinet Note:

3. Ministry of Social Justice and Empowerment facilitates Skill Development Training Programmes for its various marginalized target groups through its three apex Corporations i.e. National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), National Backward Classes Finance and Development Corporation(NBCFDC) and National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC), which are being conducted through sector Skill Council, Govt. Training Institutes and other reputed Training partners who are affiliated with NSDC.

4. Ministry of Social Justice and Empowerment, the target groups covered for financing & skill development activities broadly include the following:

a) Scheduled Castes(SCs) with annual family income upto Rs.3.00 lakh in case of credit based schemes and in case of skill development activities SCs with family income below Rs.3.00 lakhs.

b) Other Backward Classes (OBC) with annual family income below Rs.3.00 lakhs.

c) Economically Backward Classes (EBC) or persons with annual family income below Rs.1.00 lakh

d) De-notified Nomadic and semi-Nomadic Tribes (DNT's) irrespective of Caste category and income criteria.

e) Manual Scavengers identified in terms of the MS Act-2013, Safai Karamcharis, including Waste Pickers and their dependents irrespective of caste or income criteria.

PROPOSAL:

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

5. The proposal is, therefore, to include all categories mentioned at para 3 above, for whom skill development programmes are being implemented by the Ministry, within the ambit of Special Group as mentioned in clause 5.2 of Schedule I of the Common Norms.

JUSTIFICATION:

5.1 All the three Corporations under the Ministry viz. NSFDC, NBCFDC and NSKFDC are working for the marginalized section viz. poor SCs & OBCs, EBCs, DNTs, Manual Scavenger and Safai Karamcharis. The financing and development activities for these groups have been duly mandated to the Corporations and included in their respective Articles of Association in recognition of the poor socio-economic standing of these groups.

5.2 The earning of most persons of these groups are very meagre and they are reluctant to attend training programmes because while on one hand they tend to lose the wage earning capacity during the training period, they also require some money in a timely manner for meeting incidental expenses of travel etc. There can also be a need for the trainees to purchase certain aids during training. Keeping these factors in view, provision for payment of post training payment to the trainees has been made in the scheme of the Ministry and needs to be continued.

5.3 Sudden discontinuance of the monthly post training payment will send the wrong message to the target groups depriving them of a facility and hence reduce their motivation levels to attend the training programmes. This will be contradictory to the real objective of the Skill Development Training Scheme.

5.4 The payment of monthly stipend of Rs.3000/- to identified Manual Scavengers is mandated by of the clause 13(1) (d) of the MS Act, 2013 and hence same cannot be diluted. Further, the sanitation workers are closely integrated with Manual Scavengers and paying them no or little stipend while Manual Scavengers continue to draw Rs.3000/- per month, will be a definite source of grievance for them and likely to be protested too.

5.5 The inclusion of the target group of the Ministry under Special Groups as mandated in the Common Norms will also help in the fulfilment of the objective of Govt. of India of 'Antyodaya' or helping the last man standing.

5.6 Hence, they are justified for treating them as a Special Group under Clause 5.2 of Schedule I of common norms of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. And they can be given Post Training Payment.

6. It is felt that there should not be any objection to the draft Cabinet Note of the Ministry of Social Justice & Empowerment. Accordingly, the matter was placed before the Commission.

[The matter was discussed in detail. The Commission supported the proposal. However, the Commission recommended that ST people should be included in the target groups covered for financing and skill development activities.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

कार्यसूची मद सं0 2	गैर–सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को प्रारंभ करने का प्रस्ताव (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2019 के संबंध में

(फाइल सं0 Meeting/3/2019(MHRD)(Dept.-H.E.)/RU-III)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गैर–सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2019 नाम से एक कानून लाने का प्रस्ताव रखा है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मसौदा गैर–सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2019 से संबंधित है।

गैर–सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2019 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः–

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए गैर–सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करना।
2. ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे।
3. इस विधेयक के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, अधिसूचित किए जाएंगे।
4. केंद्र सरकार द्वारा एक अलग अधिसूचना के माध्यम से प्रस्ताव बिल के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक निरीक्षण तंत्र रखा जाएगा।

उपर्युक्त उपबंधों के अनुसरण में संशोधन अधिनियम और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2019 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सं0 20013/01/2018–बीसी–II के अनुसार दिनांक 17.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं0 12–4/2019–यू1 केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के तहत सभी केन्द्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। तथापि, संविधान के संशोधनों के प्रावधानों को अभी तक प्रभाव नहीं दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गैर–सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है।

आयोग के विचार और अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Agenda item No.- 2	**Proposal for introduction of the Unaided Private Educational Institutions (Reservation in Admission) Bill, 2019 - regarding**

(FILE NO- Meeting/3/2019(MHRD)(Dept. – H.E)/RU-III)

MHRD proposed to introduce a legislation namely the Unaided Private Educational Institutions (Reservation in Admission) Bill, 2019 providing for reservations for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ Other Backward Class and Economically Weaker Section categories in their admission. The draft relating to The Unaided Private Educational Institutions (Reservation in Admission) Bill, 2019

The salient feature of the Unaided Private Educational Institution (Reservation in Admission) Bill, 2019 are as follows

1. To provide for reservation of seats in Private Unaided Educational Institutions to the Scheduled Caste, the scheduled tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections of citizens in their admission.
2. These provisions would not apply to the minority educational institutions referred to in clause (1) of the article 30 of the Constitution.
3. For the purpose of this Bill, the reservations for SC/ST/OBC and Economically Weaker Sections Shall be such as may be notified by the Government from time to time.
4. An oversight mechanism, to oversee the compliance of the provisions of the proposal bill, will be put in place by the Central Government through a separate notification.

In pursuance of the above provisions of the above Constitutions Amendment Acts and OM No. 20013/01/2018- BC- II dated 17/01/2019 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, reservations have been provided in all the Centrally funded higher educational institutions as per The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act 2006, OM No. 12-4/2019- U1 of the 17th January, 2019. Further, several State Governments have laid down by law, reservations in higher educational institutions funded by them. However, the provisions of the Constitution Amendments have not yet been given effect to, pertaining to provision of reservation for the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backwards Classes and Economically Weaker Sections, in unaided Private Educational Institutions.

[The proposal was placed before the Commission which considered the proposal. The Commission decided to support the proposal.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 3	पश्चिम बंगाल राज्य में रह रही ग्यारह समुदायों नामतः भुजेल, गुरूंग, मांगर, नेवर, जोगी, खास, राई, सुनुवर, थामी, यखना (दीवान) और धीमल को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने के लिए प्रस्ताव

(फाइल सं0 Inclusion/3/2019/आर.यू.–III)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 18.02.2019 के पत्र सं0 12026/31/2013–सीएण्डएलएम के तहत सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में रह रही ग्यारह समुदायों नामतः भुजेल, गुरूंग, मांगर, नेवर, जोगी, खास, राई, सुनुवर, थामी, यखना (दीवान) और धीमल को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने के लिए प्रस्ताव भेजा है।

भारत सरकार ने 15.06.1999 (25.06.2002 को यथा संशोधित) अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में प्रवेशन, निष्कासन और अन्य संशोधनों के दावों को निर्णित करने के लिए तौर–तरीके विनिर्दिष्ट किए हैं। इन तौर–तरीकों के अनुसार केवल वे प्रस्ताव राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन द्वारा अनुशंसित और न्यायोचित, आरजीआई और एनसीएसटी द्वारा स्वीकृत हैं, विधायन के लिए संशोधन हेतु विचारणीय होते हैं।

मंत्रालय ने सूचित किया है कि उपरोक्त प्रस्ताव तौर–तरीकों के अनुसार आरजीआई को भेजे गए, लेकिन आरजीआई ने दोनों बार प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को औचित्य सहित टिप्पणी के लिए आरजीआई को भेजा, पत्र की प्रति संलग्न है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, यह अवलोकित किया गया कि आरजीआई ने प्रस्ताव का दोनों बार समर्थन नहीं किया और प्रस्ताव पर आरजीआई की टिप्पणियों की, अभी भी प्रतीक्षा है।

आयोग के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Agenda item No.- 3	**Proposal for granting of ST status to eleven communities namely Bhujel, Gurung, Mangar, Newar, Jogi, Khas, Rai, Sunuwar, Thami, Yakhna(Dewan) and Dhimal living in the state of west Bengal.**

(FILE NO- INCLUSION/3/2019/RU-III)

The ministry of Tribal affairs vide letter no. 12026/31/2013-C&LM dated 18.02.2019 has informed that state government of West Bengal had sent the Proposal for granting of ST status to eleven communities **namely Bhujel, Gurung, Mangar, Newar, Jogi, Khas, Rai, Sunuwar, Thami, Yakhna(Dewan) and Dhimal living in the state of west Bengal.**

Government of India 15.06.1999 (as further amended on. 25.06.2002) has laid down modalities for deciding claims for inclusion in, exclusion from and other modification in the orders specifying list of Scheduled Tribes. According to these modalities only those proposals which have been recommended and justified by the State Government/UT administrations, concurred with by RGI and NCST are considered for amendment for legislation.

The ministry has informed that the above proposal has been referred to the RGI as per modalities, but RGI did not support the proposal on twice. The ministry has again sent the proposal to RGI for comments along with justification received from the state government of West Bengal, a copy of letter enclosed with the letter.

As per information furnish by the MoTA, it may be observed that the RGI did not support the proposal twice and the comment of RGI on the proposal is still awaited.

[The matter was discussed in detail. It was decided that as per set procedure the views of RGI are required for examination of the proposal in NCST. Therefore, M/o Tribal Affairs should seek the comments of RGI and thereafter, National Commission for Scheduled Tribes will give its view]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं॰ 4	वर्ष 2019 की डब्लू॰पी॰सं॰ 3806 में प्रबंध निदेशक, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम, हैदराबाद और श्री बी॰ रजईयाह, ड्राइवर, आरएनजी-II डिपो, मलकजगिरी, हैदराबाद के बीच चल रहे केस फाइल संख्या, बीआर/2/2018/एसटीजीएल/ एसईएचआरएमटी /आरयू-IV, दिनांक 22.01.2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रार्थना-के बारे में।

(फ़ाइल सं॰ सीसी/ 3/2019/टीएल/आरयू-IV)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सहायक पंजीयक माननीय उच्च न्यायालय, तेलंगाना, हैदराबाद से दिनांकित 25.02.2019 का एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें केस फाइल नंबर बीआर/2/2018/ एसटीजीएल/ एसईएचआरएमटी /आरयू-IV, में वर्ष 2019 के डब्लू॰पी॰सं॰ 3806 तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम, हैदराबाद बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और श्री बी. रजईयाह, ड्राइवर, आरएनजी- II डिपो, मलकजगिरी, हैदराबाद के बीच मामले की फाइल में आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्थगन के संबंध में।

2. दिनांक 25.02.2019 को दिए गए न्यायालय के आदेश का प्रवर्ती भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"एनसीएसटी की दिनांक 22.01.2019 की अधिरोपित कार्यवाही संख्या बीआर/2/2018/ एसटीजीएल/एसईएचआरएमटी/आरयू -IV के तहत, उत्तरदाता संख्या-1 (एनसीएसटी) ने याचिकाकर्ता (टीएसआरटीसी) को सहायक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। प्रथम दृष्ट्या: ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम उत्तरदाता को याचिकाकर्ता को निर्देश देने के लिए एक वादकालीन आदेश के रूप में, सहायक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने हेतु कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, दिनांक 22.01.2019 की कार्यवाही का अंतरिम स्थगन होगा "।

3. <u>मामले की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है : -</u>

आयोग को एक अनुसूचित जनजाति याचिकाकर्ता अर्थात् श्री बी. रजईयाह, ड्राइवर, आरएनजी- II डिपो, मलकजगिरि, हैदराबाद से टीएसआरटीसी प्रबंधन द्वारा उत्पीड़न के संबंध में निलंबन और अंत में सेवा से बर्खास्तगी की सजा के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। अभ्यावेदन में, उन्होंने आरोप लगाया कि वह 1997 से रानीगंज-द्वितीय डिपो में ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहे हैं और वह लंबे समय से एससी और एसटी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन, टी.एस.आर.टी.सी. के अध्यक्ष हैं। दिनांक 21.05.2018 को, श्री एच. श्रीनिवास, एएम (टी) ने उनको अपशब्द कहे और दुर्व्यवहार किया एवं कार्यालय समय के दौरान श्रमिकों के सामने उनसे हाथापाई भी की। जिसके बाद उन्होंने उसी दिन टीएसआरटीसी में डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक और डीएम को इस मामले की सूचना दी, परंतु दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालाँकि, डिपो मैनेजर, RNG-II ने दिनांक 21.05.2018 को श्री एच. श्रीनिवास के साथ हुए दुर्व्यवहार के आरोपों में निलंबन आदेश और आरोप पत्र पेश किया। उन्होंने अपने निर्दोष और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के बारे में अपनी सफाई प्रस्तुत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और उनका निलंबन जारी रखा गया था। उनके खिलाफ एक विभागीय जांच हुई और सेवा से बर्खास्तगी का दंड भी लगाया गया।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

4. आयोग की प्रक्रिया के अनुसार, मामला टीएसआरटीसी प्रबंधन के साथ उठाया गया था और बाद में दिनांक 22.01.2019 को माननीय सदस्य (श्रीमती माया चिंतामणी इलनाते), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने सिफारिश की कि:

- टीएसआरटीसी प्रबंधन याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 21.05.2018 के प्रकाश में सहायक प्रबंधक (टी), आरएनजी-II, डिपो को एक चार्जशीट जारी करके मामले की जाँच करेगा और दोषी अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा।
- टीएसआरटीसी प्रबंधन दंड आदेश की समीक्षा करेगा। इस संबंध में, याचिकाकर्ता अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करेगा और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सकारात्मक तरीके से इस पर विचार किया जाएगा।
- टीएसआरटीसी प्रबंधन व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता की शिकायत सुनने का अवसर प्रदान करने पर विचार करेगा।
- टीएसआरटीसी प्रबंधन उन अधिकारियों/कर्मचारियों को छुट्टी देने पर विचार करेगा, जिन्होंने याचिकाकर्ता के साथ बैठक में भाग लिया।
- प्रक्रिया की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आयोग की सिफारिशों पर एक कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5. अनुपालन रिपोर्ट के लिए 12.02.2019 को संबंधित विभाग को बैठक की कार्यवाही भी सूचित की गई।

6. पीड़ित होने के कारण, टीएसआरटीसी प्रबंधन ने हैदराबाद में तेलंगाना, माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 12.02.2019 को जारी आयोग की कार्यवाही के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त किया।

7. याचिकाकर्ता (टीएसआरटीसी) द्वारा रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों के आधार पर पैरावार निम्न टिप्पणियाँ हैं.

(क) बिन्दु 2 के अंतर्गत रिट याचिका कम एफिडेविट में, रिट (टीएसआरटीसी) के याचिकाकर्ता ने बताया है कि रिट याचिका को प्रथम उत्तरदाता (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए दर्ज किया गया है जो दिनांक 22.01.2019 की फाइल सं0 बीआर/2/2018/एसटीजीएल/एसईएचआरएमटी/आरयू-IV दिनांक 12.02.2019 के पत्र का संचार अवैध और शक्तियों से परे है। इस मुद्दे की कानूनी रूप से जांच की जाएगी।

(ख) रिट के बिंदु संख्या 3 से 7 के अंतर्गत, एसटी कर्मचारी द्वारा की गई उन अनियमितताओं का विवरण प्रतिवेदित है जो कि प्रथम उत्तरदाता (एनसीएसटी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसलिए, इसे अभिलिखित किया गया है।

(ग) बिंदु संख्या 8 से 18 के अंतर्गत रिट के याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियों को चुनौती दी है। रिट याचिका में, माननीय न्यायालय के समक्ष यह बताया गया है कि प्रथम उत्तरदाता (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) के निर्देश पूरी तरह से तर्कहीन हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के प्रावधान के विपरीत हैं। याचिकाकर्ता निगम के नियमों के अनुसार श्री बी. रजईयाह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। प्रथम उत्तरदाता के पास कोई शक्ति या अधिकार नहीं

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

है जो सजा की आनुपातिकता की समीक्षा करे और निर्देश जारी करे। दिनांक 22.01.2019 को प्रथम उत्तरदाता की कार्यवाही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि यह याचिकाकर्ता निगम द्वारा लगाए गए दंड के खिलाफ अपीलीय क्षेत्राधिकार को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ी। इसके अलावा, ऑल इंडियन ओवरसीज बैंक एससी और एसटी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (1996) में माननीय शीर्ष अदालत ने यह माना है कि आयोग के पास निषेधाज्ञा, अस्थायी या स्थायी रूप से देने की कोई भी शक्ति नहीं है और ऐसी कोई भी शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 338 क खंड 8 को पढ़ने से प्राप्त नहीं हुई। इसी तरह, 2009 की रिट याचिका संख्या 11726 और 2015 की 2855 में, माननीय न्यायालय ने माना कि आयोग के पास कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा रिट में उठाए गए मुद्दों की कानूनी रूप से जांच की जाएगी।

8. जब फाइल प्रस्तुत की गई, तब यह विचार था कि क्या आयोग को ऐसे मामलों को लड़ना चाहिए क्योंकि यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। अब बैठक में, यह निर्णय लिया जाना है कि क्या ऐसे मामलों में, आयोग को स्थगन आदि को खारिज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए या सिर्फ याचिकाकर्ता को मामले को चलाने की अनुमति देनी चाहिए।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

AGENDA ITEM No. 4	W.P. No.3806 of 2019 between the Managing Director, Telangana State Road Transport Corporation, Hyderabad and Shri B. Rajaiah, Driver, RNG-II Depot, Malkajgiri, Hyderabad regarding prayer for quashing the NCST's impugned proceedings in case file No. BR/2/2018/STGTL/ SEHRMT/ RU-IV dated 22.01.2019

(File No. CC/3/2019/TL/RU-IV)

The NCST received an Order dated 25.02.2019 from the Assistant Registrar, Hon'ble High Court of Telangana at Hyderabad with regard to stay on implementation of Commission's recommendations in case file No. BR/2/2018/STGTL/ SEHRMT/ RU-IV through W.P.No. 3806 of 2019 between Telangana State Road Transport Corporation, Hyderabad Vs NCST and Shri B. Rajaiah, Driver, RNG-II Depot, Malkajgiri, Hyderabad.

2. The operative portion of the Court order dated 25.02.2019 is reproduced below:-

"Under the NCST's impugned proceedings No. BR/2/2018/STGTL/SEHRMT/RU-IV dated 22.01.2019, the respondent No. 1 (NCST) has directed the petitioner (TSRTC) to initiate action against the Assistant Manager. Prima facie, it appears that Ist respondent has no jurisdiction to direct the petitioner, as an interlocutory measure, to initiate action against the Assistant Manager. Hence, there shall be interim suspension of the proceedings dated 22.01.2019".

3. <u>The brief of the case is as under:</u>

The Commission was received a representation from one ST petitioner namely Shri B. Rajaiah, Driver, RNG-II Depot, Malkajgiri, Hyderabad regarding harassment by TSRTC Management by way of suspension and finally award of punishment of dismissal from service. In the representation, he alleged that he has been working as Driver in Ranigunj-II Depot since 1997 and also he is a Chairman for SC&ST Workers Welfare Association, T.S.R.T.C since long time. On 21.05.2018, Shri H. Srinivas, AM (T) abused and misbehaved with him and also manhandled in front of workers during the office time. He has then reported this matter to the Regional Manager and DM of the Depot in TSRTC on the same day but no action was taken against the defaulter Officer. However, the Depot Manager, RNG-II served suspension order and charge sheet on the charges of misbehaviour with Shri H. Srinivas on 21.05.2018. He had submitted his clarification about his innocent and action against defaulter officer but no action was taken and his suspension was continued. A Departmental inquiry was also held against him and imposed a penalty of dismissal from service.

4. As per the procedure of the Commission, the case was taken up with TSRTC management and subsequently, a sitting was held on 22.01.2019 under the Chairmanship of Hon'ble Member (Smt. Maya Chintamn Ivnate), NCST. After hearing both the parties, the Commission recommended that:

- The TSRTC management will investigate the matter by issuing a charge sheet to the Assistant Manager(T), RNG-II, Depot in light of the petitioner's complaint dated 21.05.2018 and will take punitive action against the guilty officer.

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

- The TSRTC management will review the penalty order. In this connection, the petitioner will submit an appeal before the Appellate Authority and the same will be considered in the positive manner by the Appellate Authority.
- The TSRTC management will consider to provide opportunity to hear petitioner's grievance in person.
- The TSRTC management will consider to grant leave to the officials/employees who attended the sitting along with the petitioner.
- An action taken report on the Commission's recommendations should be submitted to the Commission within 30 days on receipt of the procedure.

5. The proceedings of the sitting were also communicated to the Department concerned on 12.02.2019 for compliance report.

6. Being aggrieved, the TSRTC management approached the Hon'ble High Court of Telangana at Hyderabad and obtained a stay order against the Commission's proceedings issued on 12.02.2019.

7. Based on the issues raised in the Writ Petition by the petitioner (TSRTC) the para wise comments are as under:

a. Under point No. 2 In the Writ Petition cum Affidavit, the petitioner of writ (TSRTC) has reported that the Writ Petition is filed challenging the proceedings of the I[st] respondent (NCST) vide File No. BR/2/2018/STGTL/SEHRMT/RU-IV dated 22.01.2019 communicated vide letter dated 12.02.2019 is illegal and beyond the powers. The issue will be examined legally.

b. Under point No. 3 to 7 of the writ, the details of the irregularities committed by the ST employee who represented before the I[st] respondent (NCST) have been reported. Hence, it is a matter of record.

c. Under point No. 8 to 18 the petitioner of the writ has challenged the powers of the NCST. In the WP, it has been reported before the Hon'ble Court that the directions of the I[st] respondent (NCST) are wholly irrational and contrary to the provision of Article 338 A of the Constitution of India. The disciplinary action was taken against Shri B. Rajaiah as per the regulations of the petitioner Corporation. The I[st] respondent has no power or authority review the proportionality of the punishment and to issue directions. The proceedings of the I[st] respondent dated 22.01.2019 clearly show that it proceeded to assume the appellate jurisdiction against the punishment imposed by the petitioner Corporation. In addition, the Hon'ble Apex Court in All Indian Overseas Bank SC and ST Employees Welfare Association Vs Union Bank of India (1996) held that the Commission has no power of granting injunctions, temporary or permanent and no such powers can be inferred for derived from a reading of Clause 8 of Article 338 of the Constitution. Similarly, in W.P. No. 11726 of 2009 and 2855 of 2015, the Hon'ble Court held that the Commission has no power. Thus, the issues raised by the petitioner in the writ will be legally examined.

8. When the file was put up, it was of the view that whether the Commission should contest such cases as it is a quasi-judicial body. Now in the meeting, a decision has to be taken whether in such cases, the Commission should take necessary action to vacate the stay etc. or just allow the petitioner to pursue with the cases.

[The issue was discussed in detail. The Commission is of the view that the NCST should take necessary action to vacate stay and defend the case as the Commission has only recommended certain things to adhere to the principal of Natural Justice and nothing beyond purview.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

मद सं0 5	वन अधिकार अधिनियम में जारी किए गए पट्टों के संबंध में वन्यजीव प्रथम और अन्य बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और अन्य के मामले में 2008 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 109

(फ़ाइल संख्या. सीसी / 2/2019 / एमईएनवी1 /एफ़आरए/ आरयू-IV)

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (स) (सिविल) संख्या (स) 109/2008 वन्यजीव प्रथम एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य के मामले में दिनांक 28.02.2019 को एक आदेश पारित किया है, जो वन भूमि से 10,00,000 से अधिक आदिवासियों और अन्य वन निवासियों को खाली करने के संबंध में।

मामले की सुनवाई करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकित किया है।

(i) राज्य सरकारों ने अपना डाटा दाखिल किया है जिसमें कितने दावे खारिज किए गए हैं और बेदखली आदेश पारित किए गए हैं, यह शामिल है लेकिन उन्होंने आदिवासियों के अस्वीकृति आदेशों / दावों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को नहीं बताया है। यह अभिलिखित नहीं किया गया है कि दावों को किसने खारिज किया है और किस कानून के तहत बेदखली का प्रावधान लगाया गया है और इस तरह के आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है।

(ii) अधिकांश मामलों में आदिवासियों को उनके दावों की अस्वीकृति के आदेशों की तामील नहीं कराई गई है और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन क्षेत्र के निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन क्षेत्र के निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के अंतर्गत गठित तीन स्तरीय निगरानी समिति निगरानी करती है या नहीं।

(iii) राज्य सरकारों द्वारा यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अस्वीकृति आदेश पारित होने के बाद निष्कासन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गयी।

उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, न्यायालय ने विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे उपरोक्त सभी पहलुओं को शामिल करते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करें और अस्वीकृति के आदेश भी दर्ज करें एवं दावों के निपटान के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण और मुख्य आधार क्या हैं जिन पर दावों को खारिज कर दिया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि क्या आदिवासियों को सबूतों को जोड़ने का अवसर दिया गया था और यदि हाँ, तो किस हद तक और क्या उचित आदेश दावों को खारिज करने के संबंध में दिए गए हैं। उसी समय, जो प्रश्न महत्वपूर्ण है और जिसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, वह यह हैं कि अन्य पारंपरिक वन

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

क्षेत्र के निवासियों (ओटीएफ़डीस) की आड़ में, भूमि पर शक्तिशाली लोगों, उद्योगपतियों और अन्य व्यक्तियों का कब्जा नहीं हो, जो पूर्वोक्त श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि:

(i) राज्य सरकारों द्वारा ऐसे पदग्राही की श्रेणीवार जानकारी को इंगित किया जाए, जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी और अन्य पारंपरिक वन क्षेत्र के निवासियों की श्रेणी से संबंधित क्षेत्रों पर कब्जा कर चुके हैं और ऐसे व्यक्ति जिन्हें आदिवासी नहीं माना जा सकता है।

(ii) मुख्य सचिवों द्वारा दायर किए जाने वाले हलफनामों में विवरणों का उल्लेख किया जाए। तथापि, जब तक कि अदालत के समक्ष मामले की जांच नहीं हो जाती है, तब तक उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, न्यायालय के आदेश दिनांकित 13.02.2019 को रोक दिया जाए, जहां तक निष्कशन की बात है।

(iii) भारतीय वन सर्वेक्षण को दिनांक 13.02.2019 के आदेश के अनुसार सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक उपग्रह सर्वेक्षण और इस न्यायालय में यथासंभव अतिक्रमण की स्थिति दर्ज करने के लिए जगह बनानी होगी। श्री तुषार मेहता, प्रधान पब्लिक प्रोसेक्यूटर ने भारत के वन सर्वेक्षण को उपग्रह सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए सूचित किया है।

दिनांक 27.02.2019 को आयोजित एनसीएसटी की 113 वीं बैठक में पूर्व में उक्त मामले पर विचार किया गया था। आयोग ने निर्णय लिया है कि प्रभावित अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों जिनके दावों को राज्यों द्वारा खारिज कर दिया गया है, उन्हें सुना जाना चाहिए और उचित अवसर दिया जाना चाहिए। अस्वीकृत मामलों की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया जाना चाहिए। सभी राज्य जो रिट याचिका में प्रतिवादी हैं उन्हें एफआरए के तहत दावों की अस्वीकृति के लिए नियत प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी जाती है और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पत्र में एफआरए के कार्यान्वयन के लिए राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के जनजातीय सचिवों की एक बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया जाता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन से मामले की अगली तारीख से पहले न्यायालय के समक्ष हलफनामा दाखिल करवाया जाए।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चूंकि, दिनांक 28.02.2019 को इस मामले में एक और फैसला सुनाया है, जिसमें न्यायालय ने राज्य सरकार के मुख्य सचिवों द्वारा हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसके आनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण को एक भारतीय उपग्रह सर्वेक्षण करना था। जुलाई, 2019 को तय की गई सुनवाई की अगली तारीख से पहले, आयोग से यह अनुरोध किया जाता है कि जहां तक संभव हो अतिक्रमण की स्थिति दर्ज करें और राज्य सरकारों से एफआरए अधिकारों को तय करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहे और इस मामले पर विचार करने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण से रिपोर्ट भी मांगे।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

AGENDA ITEM No. 5	WP (Civil) No. 109 of 2008 in the matter of Wildlife First & Ors Vs Ministry of Environment & Forest others regarding pattas issued in the Forest Right Act.

(File No. CC/2/2019/MENV1/FRA/RU-IV)

The Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition(s) (Civil) No(s) 109/2008 has passed an Order dated 28.02.2019 in the case of Wildlife First & Ors Vs Union of India & Ors. regarding eviction of more than 10,00,000 tribals and other forest dwelling households from Forest Land.

While hearing the case, the Hon'ble Supreme Court has made following observations.

(i) The State Governments have filed their data including how many claims have been rejected and the eviction orders that have been passed but they have not stated the procedure adopted for rejection orders/claims of the Tribals. It has not been placed on record as to who has rejected the claims and under which provision of law the eviction has to be made and who is the competent authority to pass such orders.

(ii) In most of the matters Tribals have not been served with the orders of rejection orders of their claims and it is also not clear whether the three tier Monitoring Committee constituted under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008 have supervised all these aspects.

(iii) The State Governments have to clarify what is the process to be followed for eviction after rejection orders have been passed.

In the light of the above observations, the Court directs to the Chief Secretaries of various State Governments to file detailed affidavits covering all the aforesaid aspects and also place on record the rejection orders and the details of the procedure followed for settlement of claims and what are the main ground on which the claims have been rejected. It may also be stated that whether the Tribals were given opportunity to adduce evidence and, if yes, to what extent and whether reasoned orders have been passed regarding rejection of the claims. At the same time the question which is also significance and which cannot be ignored and over looked is that in the guise of other Traditional Forest Dwellers (OTFDs), the land is not in occupied by mighty people, industrialist and other persons who are not belonging to aforesaid category.

The Hon'ble Supreme Court decided that:

(i) Let the State Governments point out the category wise details of such incumbents who have been occupying these areas belonging to Schedule Tribe category and OTFD category and such persons who cannot be treated as Tribals.

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

(ii) Let details be furnished in their affidavits to be filed by the Chief Secretaries. However, till the case is under examination before the Court, taking into consideration of all aforesaid aspects, keep Court's order dated 13.02.2019 on hold so far as eviction is concerned.

(iii) The Forest Survey of India has to make a satellite survey and place on record the encroachment positions as far as possible in this Court before the next date of hearing as directed in order dated 13.02.2019. Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General has undertaken to inform the Forest Survey of India to complete the Satellite survey.

The said matter was earlier considered in the NCST's 113th meeting held on 27.02.2019. The Commission has decided that affected ST persons whose claims have been rejected by the States should be heard and given proper opportunities. State Level Committees should be constituted to review the rejected cases. All the States who are the respondent in the W.P. are advised to follow the due procedure for rejection of the claims under FRA and Ministry of Tribal Affairs be requested to hold a meeting of the Tribal Secretaries of the States/UTs for implementation of FRA in letter and spirit and in pursuance of the directions of Hon'ble Supreme Court for filing the affidavit before the Court in the next date of the case.

Since, the Hon'ble Supreme Court of India has passed another judgment in the matter on 28.02.2019 wherein the Court directed to file affidavit by the Chief Secretaries of the State Government inter alia the Forest Survey of India has to make a satellite survey and place on record the encroachment positions as far as possible before the next date of hearing fixed on July, 2019, the Commission is requested to consider the matter by asking the State Governments to follow the due procedure in deciding of FRA rights and also seek a report from the Forest Survey of India.

[The matter was discussed in detail. It was decided (i) NCST should make interlocutory application in the present matter to safeguard the interst of Scheduled Tribes across the country before Hon'ble Supreme Court. (ii) Task Force/ Committee should be constituted in NCST to look into the rejection/claims of the Scheduled Tribes randomly in the States, in the second week of June, 2019.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 6	राजस्थान के नायक समुदाय को अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में।

(सं0 MRN/15/2017/STGRJ/MIMISC/RU-II)

माननीय, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण ने अपने अ. शा. पत्र सं0 एमओएस(ए एण्ड एफडब्ल्यू)जीएसएस/वीआईपी/2018 के साथ श्री भंवर लाल वर्मा, राजस्थान राज्य नायक महासभा, राजस्थान के राज्य अध्यक्ष की एक प्रति के साथ यह मांग की कि ''नायक'' को अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

2. आयोग ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार और प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है और उपर्युक्त विषय पर आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.01.2019 की प्रति सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की गयी थी।

3. इस संदर्भ में, यह कहा गया है कि आयोग में 29.01.2018 को अपराह्न 12:30 बजे आयोग के माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई।

4. आयोग के पत्र के जवाब में राजस्थान सरकार ने आयोग को अपेक्षित सूचना/टिप्पणी भेजी है जिसमें 'नायक' और 'नायका' समुदाय की स्थिति नीचे दी गई है:–

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन), अधिनियम, 1976 के अनुसार दिनांक 20.09.1976 (अंगेजी संस्करण में) को 'नायक' समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में क्रम संख्या 57 और 'नायका' समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम संख्या 10 पर अधिसूचित किया गया है।

(ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन), अधिनियम, 1976 के अनुसार दिनांक 01.10.1976 (हिन्दी संस्करण में) को 'नायक' समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में क्रम संख्या 57 और 'नायक' समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम संख्या 10 पर भी अधिसूचित किया गया था।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने पत्र सं0 1920/4/2009–सी एंड एलएम–1 दिनांक 27/28.01.2009 को स्पष्ट किया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए :–

(i) अनुसूचित जाति–''नायक'' अनुसूचित जाति की सूची में क्रम संख्या 57 पर अधिसूचित है।

(ii) अनुसूचित जनजाति– ''नायका' अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रम संख्या 10 पर अधिसूचित है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6. संविधान के अनुच्छेद 348(1)(बी) में यह प्रावधान है कि अधिसूचना का आधिकारिक पाठ एससी/एसटी आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 है, जिसे यथा स्वरूप अंग्रजी भाषा के मूल पाठ से लिया जाता है।

7. इसलिए, यदि राजस्थान सरकार 'नायक' के स्थान पर 'नायका' (केवल हिंदी संस्करण में) को एसटी के रूप में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन करने की इच्छा रखती है तो एक स्व–निहित प्रस्ताव को नए सिरे से जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस पर विचार करेगा।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

National Commission for Scheduled Tribes
Minutes of the 114th Meeting held on 12-04-2019

AGENDA ITEM No. 6	Regarding Issuance of Scheduled Tribe Certificate to Nayak Community of Rajasthan.

(File No. MRN/15/2017/STGRJ/MIMISC/RU-II)

Shri Gajendra Singh Shekhawat, Hon'ble Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare forwarded a copy of their D.O. letter No. MOS(A&FW)GSS/VIP/2018 along with a copy of representation of Shri Bhanwar Lal Verma, State President of Rajasthan State Nayak Mahasabha, Rajasthan demanding that ST certificate be issued to**'नायक'.**

2. Commission requested to the Chief Secretary, Government of Rajasthan and the Principal Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of Rajasthan vide this Commission's letter of even no. dated 21.01.2019 copy also endorsed to the Secretary, MoTA on the above mentioned subject.

3. In this context, it is stated that the Commission has also held to the sitting on 29.01.2018 at 12.30 P.M. under the chairmanship of Hon'ble Chairperson of Commission.

4. In response to the Commission's letter, Government of Rajasthan has forwarded requisite information/comments to the Commission wherein the status of the 'Nayak' and 'Nayaka' Communities are given as below:-

(i) As per the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders (Amendments), Act 1976 dated **20.09.1976 (in English Version)**. '**Nayak**' community has been notified in Scheduled Caste list at Sl no. 57 and '**Nayaka**' community has been notified in Scheduled Tribe list at Sl. No.10.

(ii) As per Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders (Amendments), Act 1976 was notified on **01.10.1979 (in Hindi Version)**, the **'नायक'** community has been notified in Scheduled Caste list at Sl No. 57 and **'नायक'** community has also been notified in Scheduled Tribe list at Sl. No.10.

5. Ministry of Tribal Affairs has clarified vide their letter No.12026/4/2009-C&LM-I dated 27/28.01.2009 read as under:-

(i) Scheduled Caste - "NAYAK' notified at Sl. No.57 in SC List.
(ii) Scheduled Tribe – 'NAYAKA' notified at Sl. No.10 in ST List.

6. Article 348(1)(b) of the Constitution provides that the authoritative text of the notification namely the SC/ST Orders (Amendment) Act, 1976 may be taken as the one which is in English language.

7. Therefore, in case Government of Rajasthan desires to amend presidential order to include 'नायका'as ST in place of 'नायक' (only in hindi version then a self-contained proposals

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India

needs to be submitted to MoTA a fresh. Thereafter, NCST will consider the proposal once it is received from MOTA.

[The matter was discussed in detail. The NCST did not agree with the proposal. It was observed that proposal should be received from State Government of Rajasthan through Ministry of Tribal Affairs as per modalities/ set procedure.]

29.04.019

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi